has agreed to intensify the existing contacts and communication links at the local level to facilitate action against insurgent arms traffickers and other negative elements.

राज्यों में मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाना

28. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य राज्य स्तर पर मानवधिकार आयोगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचारीधीन था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौर क्या है;

(ग) क्या गुजरात सहित किसी राज्य ने ऎसा कोई आयोग स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके अधिकारों का क्षेत्र किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अधिनियम की धारा 21 से 29 के अन्तर्गत राज्य सरकारो द्वारा राज्य मानवधिकार आयोग स्थापित करने के लिए, मानवधिअकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में आधिकारिक प्रावधान है। राज्य सरकारोम को अपने-अपने राज्योम में मानवाधिकार आयोग स्थाप्ति करने की सलाह दी गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकार ने अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थाप्ति नहीं किया है।

(घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 की उप-धारा (5) के उपबन्धोम के अनुसार, किसी राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II और सूची-III में बताई गई किसी भी प्रविष्ट से संबंद्ध मामलो तक ही सीमित है।

ULFA Ultras activities in West Bengal

29. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-items appeared in the 'Hindustan Times' New Delhi dated the 11th April, 1998 under the caption "Calcutta emerges ULFA hide out for Arms Purchase";

(b)if so, what is Government's reaction thereto; and

(c)the action being taken by Government of prevent the ultras taking shelter in West Bengal?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Madam.

(b) and (c) The Central Government remains in close contact with the State Government of West Bengal to ensure that insurgent groups do not use the State for anti-national activities. State Police and intelligence agencies have been instructed to, remain vigilant in this regard.

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

30. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध जन-शिकायतों की ठोस सुनवायी से संबंधित "पुलिस शिकायत प्राधिकरण " का मामला लम्बे समय से सरकार के पास लम्बित पड़ा है:

(ख) क्या उक्त योजना को सैद्धान्तिक सहमति दिसम्बर, 1996 में दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुए विलम्ब का क्या कारण है और प्राधिकरण बनाने के मामले पर सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था के बारे में 2 अगस्त, 1996 को राज्य सभा में वक्तव्य देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली पुलिस के सदस्यों की लापरवाहियों और ज्यादतियोम के खिलाफ जन शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्राधिकरण के ढ़ांचे,स्वरुप, कार्यक्षेत्र इत्यादि की संकल्पना के लिए कदम उठाए गए है। यह एक समय लगने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अर्न्तग्रस्त कानूनी और प्रशासनिक मुद्दो पर बार-बार अन्तर मंत्रालयीय परामर्श करना पड़ता है। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्तमान लोक